

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरगाप/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक 1107 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, दिसम्बर, 30 2022.
रोवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- Renewal of diversion of forest land of 384.69 ha of forest land in favour of Uttarakhand Forest Development Corporation, Tanakpur for collection of Minor Minerals from Sharda River in Haldwani Forest Divisions, District Champawat (Uttarakhand) (Online proposal no. FP/UK/MIN/154581/2022) -reg.

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या 8-61/1999-FC(Pt.VII) दिनांक 05.12.2022।

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयार्थित प्रकरण में लगायी गयी आपत्ति का प्रतिउत्तर प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपनी पत्र संख्या 1598/12-1 दिनांक 28.12.2022 से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

आपत्तियाँ	उत्तरालेख
i. The State/UA has applied for the renewal of diversion of forest land for next 10 years, however, the mining plan has been approved upto February 2023 only. Further, the State has informed that the mining plan is under process for approval for 5 more years. In this regard the approved mining plan for commensurate time period is required to be provided.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवेश पोर्टल में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सूचना अपलोड की गयी है।
ii. As per the DSS report some of the CA sites are partially falling within proposed area for mining. These CA sites are Sharda Tapu 35 & 38 (25 ha), Sharda Tapu 37 (63 ha), Sharda Tapu 42 (16 ha) and Sharda Tapu 42 (20 ha). This need clarification.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत प्रकरण के संबंध में दिनांक-13.12.2022 को वन क्षेत्राधिकारी शारदा रेंज टनकपुर तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उ० व० वि० निगम टनकपुर के साथ मय स्टाफ सहित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
iii. KML file of the safety zone has not been provided by the State. However, State Govt has provided a map of safety zone area. The KML file has been created with the help of Geo coordinates provided along with the map. Thereafter overlapping the safety zone (SZ) KML file on the proposed mining area of sharda river it is observed that approx. 95 ha area proposed for mining is overlapping with the safety zone. Correct KML file and map of safety zone shall therefore be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार नवीन के०एम०एल० फाइल अपलोड की जा चुकी है।
iv. Cost Benefit Analysis has not been submitted as per the format prescribed in the FCA, Handbook of guidelines dated 28.03.2019.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के अनुसार पुनः तैयार कर प्रेषित किया जा चुका है।

आपत्तियाँ	उत्तरालेख
v. The State Govt has provided the survival percentage of various CA plantations which varies from 70-100%. However, in the site inspection carried out by the IRO in June 2022 (SIR enclosed), it was mentioned that some areas like Sharda Tapu no. 36 (area 15.0 out of 20.0 ha) and Sharda Tapu no. 34 & 35 (area 13.0 ha out of 20 ha) have been washed out by flood. This discrepancy needs justification.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत प्रकरण के संबंध में दिनांक-14.12.2022 को वन क्षेत्राधिकारी शारदा रेंज टनकपुर, वन दरोगा/अनुभाग अधिकारी शारदा टापू अनुभाग एवं वन बीट अधिकारी शारदा टापू द्वितीय के साथ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नको सहित सादर प्रेषित की जा रही है।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 1107 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनकी पत्र संख्या 1598/12-1 दिनांक 28.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।



(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।





कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



उत्तराखण्ड शासन

तिकाोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नेनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

सेवा में, पत्रांक- 1598 / 12-1, हल्द्वानी दिनांक- 28/12/2022

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय :- Renewal of diversion of forest land of 384.69 ha of forest land in favour of Uttarakhand Forest Development Corporation, Tanakpur for collection of Minor Minerals from Sharda River in Haldwani Forest Divisions, District Champawat (Uttarakhand) (Online proposal no. FP/UK/MIN/154581/2022) – reg. .

संदर्भ :- आपका पत्रांक 963/12-1 दिनांक 08.12.2022

महोदय,


संदर्भित पत्र के क्रम में आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित है:-

<p>i. The State/UA has applied for the renewal of diversion of forest land for next 10 years, however, the mining plan has been approved upto February 2023 only. Further, the State has informed that the mining plan is under process for approval for 5 more years. In this regard the approved mining plan for commensurate time period is required to be provided.</p>	<p>परिवेश पोर्टल में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपलोड किया जा चुका है। (संलग्नक-1)</p>
<p>ii. As per the DSS report some of the CA sites are partially falling within proposed area for mining. These CA sites are Sharda Tapu 35 & 38 (25 ha), Sharda Tapu 37 (63 ha), Sharda Tapu 42 (16 ha) and Sharda Tapu 42 (20 ha). This need clarification.</p>	<p>विषयगत प्रकरण के संबंध में दिनांक-13.12.2022 को वन क्षेत्राधिकारी शारदा रेंज टनकपुर तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उ० व० वि० निगम टनकपुर के साथ मय स्टाफ सहित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है। (संलग्नक-अ)</p>
<p>iii.KML file of the safety zone has not been provided by the State. However, State Govt has provided a map of safety zone area. The KML file has been created with the help of Geo coordinates provided along with the map. Thereafter overlapping the safety zone (SZ) KML file on the proposed mining area of sharda river it is observed that approx. 95 ha area proposed for mining is overlapping with the safety zone. Correct KML file and map of safety zone shall therefore be submitted.</p>	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नवीन के०एम०एल० फाइल अपलोड की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्नक है संलग्नक-2)</p>
<p>iv.Cost Benefit Analysis has not been submitted as per the format prescribed in the FCA, Handbook of guidelines dated 28.03.2019.</p>	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लागत लाभ विश्लेषण भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के अनुसार पुनः तैयार कर प्रेषित किया जा चुका है।</p>

v. The State Govt has provided the survival percentage of various CA plantations which varies from 70-100%. However, in the site inspection carried out by the IRO in June 2022 (SIR enclosed), it was mentioned that some areas like Sharda Tapu no. 36 (area 15.0 out of 20.0 ha) and Sharda Tapu no. 34 & 35 (area 13.0 ha out of 20 ha) have been washed out by flood. This discrepancy needs justification.

विषयगत प्रकरण के संबंध में दिनांक-14.12.2022 को वन क्षेत्राधिकारी शारदा रेंज टनकपुर, वन दरोगा/अनुभाग अधिकारी शारदा टापू अनुभाग एवं वन बीट अधिकारी शारदा टापू द्वितीय के साथ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-ब)

भवदीय,


(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक : 1598

संख्या/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि— प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम टनकपुर जिला चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।




(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी


संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या

संलग्न (क)


आज दिनांक- 13.12.2022 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली प्रस्ताव संख्या- FP/UK/MIN/154581/2022 दिनांक-05.12.2022 के निर्देशों के क्रम में वन विभाग एवं वन विकास निगम, टनकपुर के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा शारदा खनन क्षेत्र तथा शारदा टापू संख्या- 42 (16 है0), (20 है0) एवं टापू संख्या- 35-38 (25 है0), टापू संख्या- 37 (63 है0) में स्थित वनीकरण क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, उपरोक्त क्षतिपूरक वनीकरण खनन क्षेत्र के सेफ्टी जोन एवं खनन प्रतिबन्धित क्षेत्र में स्थित है।


(देवेन्द्र सिंह)

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन),
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टनकपुर


(लक्ष्मण सिंह बोरा)


अनुभाग अधिकारी शारदा खनन,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टनकपुर


(बाल विक्रम सिंह बगौटी)


स्केलर, शारदा खनन,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टनकपुर


(महेश सिंह बिष्ट)

वन क्षेत्राधिकारी,
शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर


(मुनेश सिंह राणा)

वन दरोगा / अनुभाग अधिकारी,
शारदा टापू- अनुभाग


(जंग बहादुर सिंह)

स्केलर, शारदा खनन,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टनकपुर

स्थलीय निरीक्षण आख्या


सलाहक-(ख)


आज दिनांक- 14.12.2022 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली प्रस्ताव संख्या- FP/UK/MIN/154581/2022 दिनांक- 05.12.2022 के निर्देशों के क्रम में शारदा टापू संख्या- 36 में स्थित 20 है0 एवं शारदा टापू संख्या- 34 एवं 35 में स्थित 20 है0 वनीकरण क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसकी आख्या निम्नवत् है-


- दिनांक- 18.10.2021 एवं 19.10.2021 को भारी वर्षा के कारण आयी दैवीय आपदा के कारण शारदा नदी के जल स्तर में अत्यधिक वृद्धि के कारण उक्त वनीकरण क्षेत्र में नदी का जल-बहाव हुआ था। जिससे कि वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा दीवाल क्षतिग्रस्त हो गयी थी। (सुलभ सन्दर्भ हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या- 636/9, दिनांक- 20.10.2021 की छायाप्रति संलग्न है।)
- तदपश्चात नदी का जलस्तर में कमी आने पर वृक्षारोपण क्षेत्रों के सुधार हेतु अथक प्रयास किये गये तथा वृक्षारोपण क्षेत्रों में बीज का बुवान भी किया गया है, जिससे कि वृक्षारोपण क्षेत्रों में स्थित पौधों की वृद्धि (Growth) हुयी है।
- वर्तमान में उक्त वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपित प्रजाति की संख्या के सापेक्ष जीवित पौधों की संख्या की गणना कर जीवितता प्रतिशत का आंकलन किया गया है, जो निम्नवत् है-

क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	रोपित प्रजाति का नाम	रोपित प्रजाति की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	जीवितता प्रतिशत	Height in Miter		Grith In Miter	
						Max	Min	Max	Min
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
शारदा टापू संख्या- 34 व 35 मध्ये	20	शीशम	12500	12200	98%	3.15	1.50	0.15	0.05
		खैर	5000	5000	100%	3.00	1.00	0.15	0.05
		सिरस	250	150	60%	2.85	0.90	0.14	0.07
		कालासिरस	500	415	83%	3.00	1.10	0.13	0.05
		जामुन	625	150	24%	1.00	0.60	0.10	0.05
		आंवला	625	0	0%	-	-	-	-
		बकैन	250	0	0%	-	-	-	-
		बेल	150	90	60%	0.90	0.65	0.12	0.05
		सुबबूल	100	75	75%	1.60	0.60	0.10	0.05
		योग	20000	18080	90%				
शारदा टापू संख्या- 36	20	शीशम	12500	11200	90%	2.65	1.40	0.14	0.05
		खैर	5000	5000	100%	2.50	1.00	0.13	0.05
		सिरस	250	150	60%	2.40	0.90	0.14	0.07
		कालासिरस	500	350	70%	2.80	1.10	0.13	0.05
		जामुन	625	400	64%	1.00	0.60	0.10	0.05
		आंवला	625	300	48%	1.25	0.95	0.12	0.05
		बकैन	250	225	90%	1.50	1.00	0.10	0.05
		बेल	150	140	93%	0.90	0.70	0.07	0.03
		सुबबूल	100	90	90%	1.35	1.20	0.12	0.09
		योग	20000	17855	89%				

- वर्तमान में उक्त वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपित पौधों का वृद्धि दर (Growth Rate) सही पाया गया है, तथा वनीकरण क्षेत्र की स्थिति पूर्णतः सुधार आ चुका है।


(महेश सिंह बिष्ट)
वन क्षेत्राधिकारी,
शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर


(मुनेश सिंह राणा)
वन दरोगा/अनुभाग अधिकारी,
शारदा टापू अनुभाग


(तृप्ति धुनियाल)
वन बीट अधिकारी,
शारदा टापू द्वितीय बीट

कार्यलय वन भोसाहोली, शारदा वन भेडा, टाकपुर
Bansaholi Van Bheda, Taluk



Computerisation of files, ink 02228, Ramu bhada, E-mail: rishardarange@gmail.com

दस्तावेज संख्या - 636 दि. टाकपुर, तारीख - 20 / 10 / 2021

सेवा में

प्रभाषी वन विभागीयरी महोदय,

हस्ताली वन प्रभाग, हस्ताली।

विषय :- दिनांक- 18.10.2021 एवं 19.10.2021 को भारी वर्षा के कारण आयी दैवीय आपदा हुयी क्षति की सूचना के सम्बन्ध में।

संदर्भ.

उपरोक्त विषयक पत्र से सादर अवगत कराना है, कि शारदा वन क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक- 18.10.2021 एवं 19.10.2021 को भारी वर्षा के कारण आयी दैवीय आपदा से हुयी क्षति की सूचना निम्नलिखित है-


क्र.सं०	क्षति का विवरण	अनुमानित क्षति ₹० में
01	वन विश्राम भवन वूम की पूर्व दिशा में सुरक्षा दीवाल 18 मीटर पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है।	2,50,000.00
02	ब्रहमदेव अनुभाग अन्तर्गत ट्रेन्टेकल सोलर फैंसिंग 700 मीटर लगभग ध्वस्त/क्षतिग्रस्त हो चुकी है।	2,50,000.00
03	शारदा नदी के किनारे पूर्व वर्षों में बनाये गये स्पर व पुस्तावाल ध्वस्त व अत्यधिक क्षति पहुंची है।	15,00,000.00
04	शारदा टापू संख्या- 01 क्षेत्रफल 5 हैक्टेयर शारदा नदी के कटाव से बह चुका है।	30,00,000.00
05	शारदा टापू संख्या- 34 व 35 मध्ये वर्ष- 2020-21 के 20 है० वनीकरण क्षेत्र में लगभग 13 है० वनीकरण में शारदा नदी से कटाव हो चुका है।	15,06,000.00
06	शारदा टापू संख्या- 36 मध्ये वर्ष- 2020-21 के 20 है० वनीकरण क्षेत्र में लगभग 15 है० वनीकरण में शारदा नदी से कटाव हो चुका है।	12,44,000.00
07	शारदा टापू संख्या- 35 व 36 मध्ये वर्ष- 2021-22 के 20 है० वनीकरण क्षेत्र में लगभग 15 है० वनीकरण में शारदा नदी से कटाव हो चुका है।	14,70,000.00
08	शारदा टापू द्वितीय वीट में शारदा नदी के किनारे पूर्व के 05 स्पर व 10 पुस्तावाल बह चुके है।	25,00,000.00

सलम (ख)

09	उत्तरी गुलियापानी वीट कक्ष संख्या- 4व में वर्ष- 2020-21 के 20.50 है० वनीकरण क्षेत्र में लगभग 02 है० वनीकरण में गुलियापानी नाले से कटाव हो चुका है।	1,27,000.00
10	उत्तरी गुलियापानी वीट में 15 आर०आर० स्टाई चैकडैम स्थानीय नाले से बह चुके है।	2,70,000.00
11	चेला कक्ष संख्या- 4व में 22 है० छपान किये गये क्षेत्र में से 02 है० क्षेत्र में छपान किये गये वृक्ष बह चुके है।	30,00,000.00
12	उत्तरी गुलियापानी वीट कक्ष संख्या- 4व में वर्ष- 2017-18 के 29.00 है० वनीकरण क्षेत्र में लगभग 06 है० वनीकरण क्षेत्र छिनी नाले के बहाव से कटाव कर बह चुका है।	5,87,000.00
13	छिनी वन विश्राम भवन से चेला चौराहे तक 04 किमी वन मोटर मार्ग/अरच मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है।	2,00,000.00
14	वन विश्राम भवन सेनापानी की तल में दूलागाड नाले द्वारा अत्यधिक कटाव किया गया है, जिससे कि वन विश्राम भवन सेनापानी को खतरा बना हुआ है।	20,00,000.00
	योग-	1,79,04,000.00

नोट- उक्त के अतिरिक्त क्षति विस्तृत सूचना संकलित कर महोदय की सेवा में पृथक से प्रेषित की जायेगी।

अतः उक्तानुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(मनीष कुमार)
वन क्षेत्राधिकारी,
शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर